मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 26.06.2025

थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा 480 टेट्रा पैक अवैध अंग्रेजी शराब (प्रत्येक 180 ML) के साथ 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार-

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन की नेतृत्व में थाना मड़िहान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 25.06.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत ग्राम दांती, गिरी ढाबा के पास सघन चेकिंग कर 02 अभियुक्तगण 1. आकाश कुमार पुत्र राजनीति शाह निवासी ग्राम पोस्ट मंसूर चक, थाना मंसूर चक, जनपद जहानाबाद, बिहार व 2. रंजन कुमार पुत्र दिनेश यादव निवासी ग्राम बेबीपुर, थाना काको, जनपद जहानाबाद, बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्तों के पास से 02 अदद ट्राली बैग व 02 अदद पिट्ठू बैग में भरी हुई अवैध अग्रेजी शराब 8 PM व आफिसर्स च्वाइस के टेट्रा पैक कुल 480 पैकेट (प्रत्येक पैकेट 180ml) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0स0- 204/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

पूछताछ विवरण —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि बिहार में शराब बन्दी होने के कारण शराब की मांग के अनुसार शराब को खरीद कर महगे दामों पर सप्लाई करते हैं। जिससे हम लोगो को अच्छा धन प्राप्त होता है जिसें आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. आकाश कुमार पुत्र राजनीति शाह निवासी ग्राम पोस्ट मंसूर चक, थाना मंसूर चक, जनपद जहानाबाद, बिहार, उम्र करीब 27 वर्ष।
2. रंजन कुमार पुत्र दिनेश यादव निवासी ग्राम बेबीपुर, थाना काको, जनपद जहानाबाद, बिहार, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- कुल 480 अदद टेट्रा पैक (प्रत्येक पैकेट 180ml) अंग्रेजी शराब

पंजीकृत अभियोग —

मु.अ.स. 204/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मड़िहान मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- (आकाश कुमार)

1. मु0अ0सं0- 142/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक–

थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत ग्राम दांती, गिरी ढाबा के पास से दिनांक 25.06.2025 को।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- उप निरीक्षक राजेश सिंह व उप निरीक्षक विनोद कुमार मय पुलिस टीम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।